[Shri Saugata Roy]

in the House at Zero Hour. I do not know whether such a motion has been moved or given notice of. It was not circulated along with the list of business tody. But I find in the papers that a no-trust motion is being put...

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is the business of the Party concerned whether they want to move or not.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Have you got any notice?

MR. DEPUTY SPEAKER: On the one hand you say that it should not be divulged to the press, this and that and on the other hand you are asking in the House whether I have received notice (*Interruptions*) Mr Vayalar Ravi.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I am rising to seek a clarification from you. I have given notice of breach of privilege against Shri Raj Narain—under rule 334A—because Mr. Raj Narain made a statement that he was moving a motion of privilege against the Prime Minister. I have nothing against that, he can do whatever he wants...

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have received your notice. I have to go through the newspaper report which you have mentioned. Without going through that, I cannot take a decision. I shall revert to it tomorrow.

PARLIAMENTARY COMMITTEES—SUMMARY OF WORK

SECRETARY: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the 'Parliamentary Committees—Summary of Work' (Hindi and English versions) pertaining to the period 28th March, 1977 to 31st May, 1978.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, we take up the call-attention... (*Interruptions*) I will have to look into it before you can raise it in the House. There are so many notices, and I will have to look into the notices and take decisions on them. Some of them have been received only this morning. Please do not rise up in the House and try to air your notices. Notices are notices and they will be taken notice of, and only after they have been taken notice of that decisions will be made.

Now, we take up the Call-Attention. Mr. Sarsonia.

12.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED INCIDENT OF TWO HARIJANS HAVING BEEN SHOT DEAD IN VILLAGE MORKHERI (HARYANA)

श्री शिव नारायण सरसूनिया : (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"ग्राम मोरखेड़ी, जिला रोहतक (हरियाणा) में दो हरिजनों के गोली से मार दिये जाने और कई अन्य के घायल हो जाने की घटना का समाचार"।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री झनिक लाल मण्डल) : महोदय, सरकार 21 अगस्त, 1978 को हरियाणा के जिले रोहतक के मोरखेड़ी गांव में घटी घटना जिस में दो हरिजन मारे गये तथा छः अन्य घायल हुये की निन्दा करती है और शोक प्रकट करती है ।

हरियाणा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मौहल्ले के दो खाली प्लाटों पर पिछले तीस सालों से एक दिवानी मुकदमा, एक ओर सर्वश्री समे, चन्दन जो अनुसूचित जाति के थे और दूसरी ओर उसी गांव के एक सवर्ण हिन्दू श्री उदयसिंह के

बीच चल रहा था। इस दीवानी मुकदमे का फैसला उदयसिंह के पक्ष में हो गया जिस पर इस घटना के लगभग दो महीने पहले एक चार दीवारी बनवाई थी। श्री चन्दन, जिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी के अनुसार इस चार दीवारी ने उन्हें उनके मकानों में जाने से रोक दिया था। 21 अगस्त, 1978 की रात के लगभग 11 बजे श्री समे तथा सात अन्य जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती रत्नी तथा दो अन्य महिलायें शामिल थीं इस चार दीवारी को गिराने लगे। उदयसिंह के पुत्र श्री जयपाल और राजपाल ने अपने मकान की छत से चिल्ला कर कहा कि यदि वे पीछे नहीं हटे तो वे उन पर गोली चला देंगे। इस के पश्चात् उदय सिंह ने छत से दो गोलियां चलाई जिस में एक महिला बिमला सहित पांच व्यक्ति घायल हो गए। फिर उदय सिंह और उस के दो पुत्र नीचे उतर कर प्लाटों पर आए और 5–6 गोलियां चलाई जिस के फलस्वरूप श्री समे और उनकी पत्नी रत्नी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। एक अन्य महिला पानो को चोटें आई। इस प्रकार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुल मिला कर दो व्यक्तियों की जानें गई और छः अन्य के चोटें आई।

श्री चन्दन की शिकायत पर सांपला थाने में 21 अगस्त को आर्मस एक्ट की धारा 27/54/59 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/34 के अधीन एक केस दर्ज किया गया। तीन अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बन्दूक जब्त करली गई है। डिप्टी कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर हो आए हैं। इस घटना में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को तथा जिन के चोटें आई हैं उन को अनुग्रह मूलक अनुदान राहत दी गई है।

हरियाणा सरकार के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है। गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।

श्री शिवनारायण सरसूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी जो वक्तव्य पढ़ा गया है, उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं मौके पर जा कर आया हूं और हमारे साथ पांच और भी संसद सदस्य गए थे। जिस जगह यह घटना हुई है वहां पर पहले से तय करके उन को इस तरह से मारा गया है क्योंकि उस गांव में जाने का एक तरफ से रास्ता पहले ही जलमग्न था, केवल एक रास्ता बाकी था, वह भी 19 तारीख को वहां की नहर काट कर गांव वालों ने पहले ही जलमग्न कर दिया था। यह गांव वालों ने बताया कि वह रास्ता पहले ही नहर काट कर पानी से डुबाया गया। इस से यह सिद्ध होता है कि पहले ही दिन से साजिश बन गई थी। उस दिन एक रैली थी और उस रैली से ये वापस आए थे। इन्होंने वहां पर जाकर कहा कि मोरारजी देसाई जो प्रधान मंत्री हैं उन के वक्तव्य जो लाल किले से दिया गया को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया था। उस की दोहाई देते हुए कि वह हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को भी नहीं मानते और हमारे हक में यह फैसला हुआ है, इस लिए इस जमीन पर हम इस तरह से कब्जा करेंगे, यह कहते हुए वहां पर जाकर उन्होंने गोलियां चला कर लोगों को भून दिया। सारी रात वहां पर गोली चलती रही। मिनी कर्फ्यू लगा रहा। कोई भी आदमी वहां पर गांव के घर से बाहर नहीं निकला। हम दोनों पक्षों के पास गए हैं, वहां के जाटों के पास भी और

[श्री शिवनारायण सरसूनिया]

हरिजनों के पास भी। जाटों ने स्वयं इस बात को माना कि उस रात शाम को 8 बजे से सवेरे 6 बजे तक बराबर गोली चलती रही। इसलिए पुलिस के द्वारा या सरकार की तरफ से यह जो बताया गया है कि वहां पर केवल पांच गोलियां चलीं, यह ठीक नहीं है। वहां तो रात भर गोलियां चलती रहीं, यह वहां के दूसरे स्थानीय लोग भी बताते हैं।

दूसरी बात — यह भी कहते हैं कि उन को अनुग्रह की राशि दी गई। यह रेडियो पर हम ने सुना और अखबारों में पढ़ा कि पांच पांच हजार रुपया मृतकों के परिवार को और एक एक हजार रुपया जो कहते हैं, तीन-तीन हजार तक बढ़ा दिया गया है, इन्जड को दिया गया। साथ ही पांच पांच सौ रुपया डिप्टी कमिश्नर ने रेडक्रास से दिया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक उन को एक धेला भी नहीं दिया गया। सब झूठ है।

इस के साथ साथ यहां की हमारी एक संसद सदस्या ने अखबारों में यह स्टेटमेंट दिया है कि उन को यह राशि न दी जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि वह राशि जो एनाउंस की है, मुख्य मंत्री ने उन संसद सदस्या से पूछ कर क्यों नहीं एनाउंस की? यह अखबारों में आया है, उन्होंने क्लेम किया है कि जब तक यह फैसला न हो जाय कि अभियुक्त कौन था तब तक उन को यह राशि न दी जाय। क्या इसी कारण से राशि रुकी हुई है? (व्यवधान) वहां के एम० एल० ए० हैं श्री संत कुमार जिनका इस प्रकार बयान अखबार में आया है और उस दिन जो रैली हुई थी उस को यहां की एक संसद सदस्या ने एड्रेस किया। (व्यवधान)

उपसभापति महोदय : आप मुझे एड्रेस कीजिए।

श्री शिवनारायण सरसूनिया : वहां पर पोस्टर लगे हैं — खुली दुकान हमारी और बन्द दुकान तुम्हारी। इस प्रकार की स्थिति वहां पर थी जिससे प्रेरित हो कर उन्होंने कहा कि देखें, प्रधान मंत्री किस तरह से बचाते हैं? यह कह कर उन लोगों को गोली से मारा गया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने सारी रात गोली चलाई। जो पति पत्नी थे, जिन के साथ सन् 50 से मुकदमा चल रहा था उसका लोवर कोर्ट ने पहले हरिजनों के हक में फैसला दिया था। मैं ने वहां पर जाकर मौका देखा है, हरिजनों के घर से जाने के लिए केवल-मात्र एक रास्ता वही था जिस को उन्होंने दीवार खड़ी कर के रोक दिया। यह ठीक है कि सन 73 या 74 में हाई कोर्ट से उदय सिंह के हक में फैसला हुआ था लेकिन तब से दीवार नहीं बनाई गई थी। वह दीवार एक विशेष प्रक्रिया में बनाई गई। (व्यवधान) जिस समय यह दीवार खड़ी की गई उस समय भी हरिजनों ने कहा था कि आप हमारा रास्ता रोक देना चाहते हैं, हम किस तरह से अपने घरों में जायेंगे? हम दीवार नहीं बनने देंगे। उस के ऊपर 107 और 151 में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के हिसाब से, जिस अभियुक्त ने वहां पर दीवार खड़ी की है उस से बन्दूक ले लेनी चाहिए थी लेकिन अभी तक उसी तरह से उसको बन्दूक दे कर रखी गई है और उस का यह परिणाम निकला। इस तरह से यह एक बड़ी भारी साजिश थी और एक लहर की कड़ी थी। कंझावला में जो कांड चल रहा है उस के साथ सवाल यह खड़ा होता है कि आज तक जो कल्याण के प्रावधान हुए हैं या जमीन सुधार के जो कानून

बनाए गए हैं या संविधान में हरिजनों के लिए जो वायदे किए गए हैं क्या उनसे यह संसद और सरकार मुकर जायेगी ? क्या इस तरह से देश में जो लोग दीवारें खड़ी कर रहे हैं उन से सख्ती के साथ निपट कर उन को इस बात के लिए तैयार किया जायेगा कि वे संविधान को मानकर इस के अनुसार आचरण करें ? (व्यवधान) मैं यह इस लिए बता रहा हूं कि एक जगह पर यहां जो खून बहाया गया है उसके बाद और भी जगहों पर खून बहाया जायेगा । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दस मिनट बोल चुके हैं ।

श्री शिवनारायण सरसूनिया : मेरे पास दिल्ली के बीसों गांवों से रिप्रेजेंटेशन आए हैं । उन को पीटा जा रहा है, उन के बच्चों को मारा जा रहा है ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Sarsonia, you will have to end it. You can only ask for clarifications. But, you cannot go on making a speech.

श्री शिवनारायण सरसूनिया : मैं आप से मांग करता हूं कि जितने भी इस तरह के सम्मेलन और रैलियां हैं उन के ऊपर नियंत्रण किया जाये और दिल्ली तथा हरियाणा के जितने देहात हैं जहां पर इस तरह की लहर चल रही है और हरिजनों को दबाया जा रहा है वहां पर फौरी तौर से जितने भी हथियार हैं उन के लाइसेंस रद्द कर के सारे हथियार जमा करवाये जांय । उपाध्यक्ष महोदय, उन को अनुग्रह-राशि अभी तक नहीं दी गई है । क्योंकि मैं उनके पास अस्पताल में मिल कर आया हूं । उनके घर भी गया था, हर एक आदमी से वहां मिला और वहां जितने लोग थे । सब ने यही बतलाया कि पति और पत्नी के गोली से मरने के बाद कुछ लोगों ने उनको बरछे से काटा । यह वहां पचासों लोगों ने बतलाया । लेकिन जब हम एस० एस० पी० से मिले और उनसे पूछा कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनी, एक बोर्ड बैठा कर यह तैयार की गई, यह गलत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरसूनिया जी, आप बोले जा रहे हैं . . . (व्यवधान) . . .

श्री शिवनारायण सरसूनिया : क्या हम जीवित रहें या मर जायं—यह प्रश्न है । आज हिन्दुस्तान भर में इस तरह का वातावरण बन रहा है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि आप बहुत अच्छे बोलने वाले हैं—आप सुनिये . . .

श्री शिवनारायण सरसूनिया : इन्होंने तीन आदमियों को गिरफ्तार किया है । मैं पूछना चाहता हूं कब गिरफ्तार किया है . . .

MR. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat now. I know it is a very serious issue and I will allot time according to that. Please resume your seat now. Nothing will go on record.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY SPEAKER: Let me make it very clear to the other hon'ble Members that just because a certain sections gets up and makes some kind of demonstration, I am not going to break the rules. You can take it from me. I know the seriousness of the issue being discussed and accordingly I know how much time is to be allotted. There is no use just trying to pressurise me.

SHRI RAM DHAN (Lalganj): You should adhere to the rules for every person.

**Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ram Dhan, as far as I am concerned I will abide by the rules for every person. You have made very uncharitable remark. I know you do not mean it. I do not make any distinction between member and member to whatever party he belongs even at the cost of becoming angry. Please take your seat now.

(*Interruptions*)

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : इन्होंने मेरा नाम लिया है . . .

MR. DEPUTY SPEAKER: There are only five names and your name is not there.

श्री धनिक लाल मण्डल : उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद जो सर्कमस्टेंस हैं—उसको लिया जाय, तो उससे इस बात का आभास नहीं मिलता है कि यह घटना पूर्व-नियोजित थी। महोदय, 11 बजे रात में, जैसा मैंने कहा—यह जो प्लाट आफ लैंड है, जिस पर हाईकोर्ट का फैसला हो चुका था और उदय सिंह के पक्ष में हो चुका था और जिस पर दीवार खड़ी थी—चार-पांच फुट ऊंची, उसको गिराने का प्रयास किया गया और जो समे साहब हैं और चन्दन . . .

श्री उग्रसेन (देवरिया) : यह रिपोर्ट गलत है। . . . (व्यवधान) . . .

एक माननीय सदस्य : हमने वहां जाकर स्थिति को देखा है—बन्दूक से गोली चला कर हरिजनों को मार कर गिरा दिया गया—आप कहना क्या चाहते हैं . . . (व्यवधान) . . .

श्री धनिक लाल मण्डल : अच्छी तरह से जांच कर ली गयी है, सभी सम्बन्धित लोगों से जांच कर ली गयी है। घटना इस प्रकार है। वहां वार्निंग दी गयी, वे नहीं हटे, इसलिए नीचे उतर कर बन्दूक चलायी। दो आदमियों की मृत्यु हुई और 6 व्यक्ति घायल हुए। कुल मिला कर आठ फायर हुए। यह बात गलत है कि रात भर गोली चली है। ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान) आठ फायर हुए जिनमें दो आदमियों की मृत्यु हुई और छः आदमी घायल हुए। यह झगड़े का मामला बहुत दिनों से चल रहा था। बीस वर्षों से यह मामला कोर्ट में था। 1976 में कोर्ट से फैसला हुआ। अभी दो महीने पहले उस पर दीवार बनी थी। यह कहना कि यह घटना पूर्व नियोजित थी, यह प्रतीत नहीं होता है। इस घटना को कंझावला घटना से या रोहतक में जो किसान रैली हुई, उससे जोड़ना भी ठीक नहीं लगता है। यह गांव रोहतक से 35 किलोमीटर पर है। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं लग रहा है।

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना) : यह सारे अखबारों में लिखा हुआ है कि वहां बहुत टेंशन है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Shyam Sunder Lal, please don't get excited.

उपाध्यक्ष महोदय : ये कह रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर।

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): I can understand the anger of my hon. friends on this matter. It is not section against section but it is person against person. Regarding whatever is going on in Kanjhawala, we are taking full steps to see that if any wrong is done, it will be met very sternly and properly. I have given strict instructions to the Police Commissioner and the Police Officers about it. In the whole area there is something going on as it appeared from the papers and we are alive to it. Whatever steps are necessary we will take to see that they are not able to do mischief. That is what we shall do. But this was a long-standing case. Then, if the wall is created, and even if they were right in creating the wall, these people were wrong in raising any objection to it. They had no business to open fire and on that score I have no doubt. Nobody can

take the law into his own hands like that. The moment I learnt about it, I phoned to the Chief Minister and asked him to take immediate steps and the persons concerned have been arrested.

एक माननीय सदस्य : वहां 24 फायरें हुए हैं।

SHRI MORARJI DESAI: There is always a little time-lag in this matter. But when I had talked to him, I talked to him on the very day it appeared in the papers. That is how I learnt about it; otherwise I would not have learnt about it. That very day he told me that they were arrested. Then he has given some help but I am told that it has not reached them. We will see that it reaches them quickly. There is no question of anybody saying that help should not be given. No other view is going to prevail. All steps will be taken to see that that is not extended to any other area nor anything done like that. Whatever hard steps have to be taken will be taken.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : एक कहावत है "ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया"। इसी सदन में अब हम लोगों का कुछ कहने में भी नहीं बनता है। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो कहा जाता है कि हम हमेशा रिपीट करते हैं और यही जवाब दे दिया जाता है। यदि रोज घटनायें घटें, रोज हत्यायें हों तो क्या पूछा जाए ? डिसकशन भी इस पर चलता है। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सदन में जो आश्वासन दिए जाते हैं क्या उनका इम्प्लेमेंटेशन भी होता है। आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में कंझावला के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मैंने पूछा था कि क्या सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि वहां लोग संगठित होकर हरिजनों पर प्रहार कर सकें ? तब माननीय गृह राज्य मंत्री ने उत्तर दिया था कि सरकार इस के बारे में एलर्ट है और सरकार ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी। वैसा हुआ भी। वे लोग प्रधान मंत्री जी के यहां भी पहुंच गए। क्या इस तरह की जो घटनायें घटती हैं तो केन्द्रीय मंत्रिमंडल के लोग घटना स्थल पर पहुंचते हैं या कोई केन्द्रीय टीम घटना स्थल पर जाती है ? अगर नहीं तो क्या यह सही नहीं है कि राज्य सरकार जो रिपोर्ट दे देती है उसी को यहां पढ़ कर सुना दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यदि केन्द्रीय अध्ययन दल वहां जाए तो वह वस्तुस्थिति का दूसरे तरीके से पता लगा करके आपको बता सकता है और आप इस सदन को जानकारी दे सकते हैं और उस के दूसरे रिजल्ट निकल सकते हैं।

शुरू में कहा गया था प्रधान मंत्री जी के द्वारा कि जहां कहीं भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे वहां के जो आरक्षी अधीक्षक अथवा जिला अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज तक पूरे देश के विभिन्न भागों में, प्रत्येक राज्य में नहीं तो क्या बहुसंख्यक राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं, क्या किसी भी पुलिस अधिकारी को, आरक्षी अधीक्षक को या जिला अधिकारी को आज तक दंडित किया गया है या नहीं किया गया है ?

302 के जितने मुकदमे इन केसिस में चलाए जाते हैं देखने में आया है कि शैड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट यह होती है कि पांच प्रतिशत लोग भी दोषी नहीं पाए जाते हैं और सभी लोग छूट जाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते सभी लोग बरी हो जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि हत्यायें होती रहती हैं। यह जो घटनाओं का सिलसिला चल रहा है मैं समझता हूं कि यह इसी

[श्री राम विलास पासवान]

तरह से चलता रहेगा । भविष्य में जहां कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है वहां क्या आप तुरन्त केन्द्रीय दल भेजेंगे ? साथ ही सरकार ने जो यह कहा था कि जिला अधिकारी, एस० पी० आदि को तुरन्त सस्पेंड किया जाएगा, डिसचार्ज कर दिया जायेगा, क्या वह इस को भी करेगी ? जहां तक कोर्ट का मामला है क्या आप स्पेशल कोर्ट बिठा करके तुरन्त जजमेंट दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धनिक लाल मण्डल : कंझावला की जो बात माननीय सदस्य ने उठाई है उस के सम्बन्ध में मैंने जो आश्वासन दिया था उस पर मैं अब भी कायम हूं । वहां पर सभी प्रकार के प्रिवेंटिव मेजर्ज लिए जा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना न घटने पाए ।

एक माननीय सदस्य : बन्दूकें वगैरह जमा करवा ली हैं ?

श्री धनिक लाल मण्डल : यह आदेश दिया जा चुका है कि जहां कहीं भी तनाव है और....

श्री श्याम सुन्दर लाल : वहां बहुत तनाव है ।

श्री धनिक लाल मण्डल : इस के बारे में आदेश भी हैं और ऐसा करने का विचार भी चल रहा है ।

यह भी पूछा गया है इस तरह की घटनाओं की जांच के लिए क्या किया जा रहा है । इस को स्पष्ट कर दिया गया है । आप तो जानते ही हैं कि जहां कहीं भी ऐसी घटना हुई है वहां या तो ज्यूडिशल इनक्वायरी हुई है या पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज की उसको इजाजत मिली है जाने की । इस को आप जानते भी हैं ।

श्री राम विलास पासवान : यहां से कोई टीम जाती है या नहीं ? स्पेशल कोर्ट के सम्बन्ध में मैंने पूछा है, उसका भी जवाब नहीं मिला है । समरी ट्रायल की व्यवस्था क्या आप करेंगे ? एस० पी० आदि को ससपेंड करने की बात का भी जवाब नहीं मिला है ।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैंने कहा है कि जहां कहीं भी हरिजनों पर अत्याचार की घटना होती है जिस में मृत्यु होती है तो उस घटना की जांच के लिए यदि राज्य सरकार ज्यूडिशल इनक्वायरी की व्यवस्था नहीं करती है तो यहां से पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको जाने की इजाजत दी जाती है और दी गई है (इंटरप्शंस) ।

श्री श्याम सुन्दर लाल : एस० पी० को क्या कभी आपने ससपेंड किया है ?

SHRI MORARJI DESAI: The hon. Members are spoiling the case by excitement.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, that is what I do not understand.

SHRI MORARJI DESAI: It is a murder case, which is going to be tried by a sessions court. How can there be any further and a different inquiry? That ought to be understood. The case has been registered, it will be prosecuted with whatever speed is necessary. That will be done, but there cannot be a judicial inquiry into this.

श्री चन्द राम (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, बेलछी में आदिवासियों के हत्याकांड के बाद रोहतक जिले के मोरखेड़ी गांव में हरिजनों का बहुत ही दर्दनाक कत्ल हुआ है और इसमें दो हरिजन, जिनके नाम श्री सबे और उसकी पत्नी श्रीमती रतनी है, यह गोलियों की बौछार से मारे गये हैं और 6 लोग जख्मी हुए हैं। जो जख्मी हुए हैं वह बुरी तरह जख्मी हुए हैं, उन के जगह, जगह गोली लगी है। हम 5 आदमियों की एम०पीज० की टीम उन को देख कर आयी है। किसी के मुंह में, किसी के कान में, किसी के हाथ में, और किसी के पेट में गोलियां लगी हैं। यहां तक कि उन में एक 14, 15 साल की बच्ची है और एक लड़की गर्भवती है। जो स्टेटमेंट यहां दिया गया है, जो स्टेटमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ़ से गृह मंत्रालय को भेजा गया है यह बहुत ही गलत है। इस में बहुत से फैक्ट्स छिपाये गये हैं। मैं इसी रिपोर्ट को लेकर आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यह बताया गया है कि :

"The civil case was decided in favour of Uday Singh who then constructed the boundary wall about two months prior to this incident."

और जब उन्होंने चारदिवारी खींची थी तब भी झगड़ा हुआ था और 107/151 का केस दर्ज हुआ था थाने में जो इस में यहां नहीं बताया गया है। अगर यह बता दिया जाय तो पुलिस अधिकारियों की लापरवाही साबित हो जाती है, सरकार की लापरवाही साबित हो जाती है। जब यह केस खड़ा हुआ था तो सरकार ने प्रीवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए? बन्दूक को क्यों नहीं छीना गया? अगर ऐसा किया गया होता तो यह घटना नहीं घटती। इसलिये यह खास पौइंट है जिसको इस रिपोर्ट में कमजोर किया गया है। और यह भी बताया गया कि इनवल्यूरिंग सिमला, जिसको कि औरत बताया गया है। जब कि यह कोई औरत नहीं है बल्कि 13, 14 साल की मासूम बच्ची है जिसको बुरी तरह से गोलियों से भून दिया गया है। और यह जो बताया गया है कि 5, 6 राउन्ड वहां गोली चली है, ऐसा नहीं है। वहां पर हमें बताया गया कि 5, 6 राउन्ड नहीं चले बल्कि इतने राउन्ड चले हैं कि सारी रात 15, 20 मिनट के बाद गोली चलती रही। एक तरह से मिनी करफ्यू लगा रहा। इस बात को स्टेटमेंट में छिपाया गया है। हमें वहां से पता चला है कि बाद में जो मृतक हैं उनको गंडासे से काटने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस इसको छिपाने की कोशिश कर रही है। पनवई या पन्नो नाम की लड़की का वहां पर मैका है और अपने भाई को राखी बांधने आयी थी और गर्भवती है, और जब पेशाब करने के लिये निकली तो गोलियों की बौछार की गई और सारी की सारी छलनी कर दी गई।

यह भी बताया गया है कि यह केस 21 को रजिस्टर कर लिया गया। तो जो कलप्रिट्स हैं उन को 72 घंटे के बाद पकड़ा गया है, यह इसमें नहीं बताया गया है। और भी वहां पर कुछ लोग हैं जिनको पकड़ा नहीं गया है। यह हमें वहां लोगों ने बताया है। इसमें आगे यह भी बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर और सीनियर एस० पी० वहां पर गये। यह गये जरूर हैं। लेकिन कब गये? 23 तारीख को गये। कितने शर्म की बात है कि वहां का एम०एल०ए० भी अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है, न कोई मंत्री पहुंचा है और न मुख्य मंत्री पहुंचे। यह भी कहा गया है कि उनको ग्रान्ट दी गई है। हमें बताया गया है कि कोई ग्रान्ट उनको नहीं दी गई है। मैं इस के बारे में बताना चाहता हूं कि यह जो घटना है यह स्वयं अपने आप में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि डीप्सार्थ

[श्री भगत राम]

जाती है और इसका पिछला इतिहास है। इस के पीछे जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले श्री सरखुनिया जी ने कहा, एक बड़ी लम्बी कहानी है। यह सब प्री-प्लैन्ड था। अगर प्री-प्लैन्ड न होता तो इतने आदमी न मरते। मेरी यह भी मान्यता है कि जनता पार्टी की फूट भी इसमें एक कारण है। कंझावला में जो घटना हो रही है वह भी यहां एक कारण है। आप श्री सन्त लाल एम०एल०ए० और श्री बेदीलाल का स्टेटमेंट देखिये, वह क्या कहते हैं। यहां के लोग वहां लैटर भेज रहे हैं। यहां की घटना उसका ही रिफ्लैक्शन है। जनता पार्टी के झगड़े इस को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्ग संघर्ष को यह कास्टवार जाट और हरिजनों के झगड़े का रंग दिया जा रहा है। ऐसी घटनाएं हमारे देश के लिए बड़ी शर्मनाक हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: You will have to end now.

श्री भगत राम : प्रधान मंत्री जी ने इन घटनाओं को दबाने के लिये कुछ ऐलान किये हैं, वह अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इन थोड़े से ऐलानों से कुछ होने वाला नहीं है। इन झगड़ों की बुनियाद में जाना चाहिये। तभी यह हल हो सकते हैं।

जितने भी हरिजनों के इस प्रकार के झगड़े हैं उन सब को ले लीजिये, लगभग सब में गरीब हरिजनों और खेतिहर मजदूरों के वेतन और जमीन का मामला ही आता है। जब कभी जमीन का बंटवारा ठीक नहीं होता, ऐसे झगड़े होते हैं। लैंडलार्ड की जमीन खेतीहरों को नहीं दी जाती इसीलिये झगड़ा होता है। यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है।

MR. DEPUTY SPEAKER: I have been repeatedly telling you so that you can wind up.

श्री भगत राम : जो लैंडलार्ड लाबी है, उनको उत्साह मिल रहा है सरकार के फैसलों से। इसलिये मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह इनकी बुनियाद में जायें। (व्यवधान)।

MR. DEPUTY SPEAKER: I do not know why you are getting up. There is no provocation for you to get up. Mr. Bhagat Ram, you wind up in one or two sentences. Otherwise, abruptly I will ask you to sit down.

श्री भगत राम : पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी ऐसे झगड़ों में हिस्सा लेते हैं। मैं सरकार और पोलिटिकल पार्टियों से निवेदन करूंगा कि जो भी पोलिटिकल पार्टी के लोग इस तरह के झगड़ों में हिस्सा लें, उनके साथ बुरी तरह से पेश आया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat. If you persist, nothing will go on record. I have been warning you again and again that you should wind up your speech. I have told you a dozen times. I must make it clear not only to you but to all hon. members concerned. I have given you ample warning. When I say you should wind up, I give you another minute. Again I say you should wind up and I give you another minute. But if you persist, I cannot tolerate it. You could have wound up, but now you have to end abruptly. Please sit down. Nothing will go on record. Don't take down.

(*Interruptions*)**

श्री बनिक लाल मण्डल : उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना 21 तारीख को रात के 11 बजे घटी। सुबह को रिपोर्ट होती है। दूसरे रोज, 22 तारीख को, बहादुरगढ़ के डी०एस० पी० और एस० पी० वहां पहुंचते हैं। यह सही है कि

**Not recorded

डी० सी० 23 तारीख को पहुंचते हैं, लेकिन डी० सी० को और जो भी एमनेक्रमेंट्स थे। इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता है कि इस में प्रशासन की ओर से कोई ढिलाई बरती गई है। जहां तक रिलीफ़ देने की बात है, मैं ने कहा है कि पांच पांच सौ रुपये पांचों परिवारों को 25 तारीख को डी० सी० ने दे दिये, जो रेडक्रास सोसायटी से मिले थे। पांच पांच हजार रुपये मृतकों के परिवारों के लिए और तीन तीन हजार रुपये सीरियसली इन्जर्ड के लिए हैं। बाकी जो घायल हैं, उन में से प्रत्येक के लिए एक एक हजार रुपये का पेमेंट आज कर दिया जायेगा। डी०सी० को 26 तारीख को रुपया मिल चुका है। अब वह उन को पेमेन्ट कर दिया जायेगा।

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सही है कि इस विषय पर वही माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, जिन के नाम इस कालिंग एटेन्शन नोटिस में हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो मुद्दे उठा रहे हैं, माननीय मंत्री उन के उत्तर नहीं देते हैं; तो क्या सारा हाउस मूक दर्शक बन कर देखता रहेगा? क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि मंत्री महोदय उन प्रश्नों के उत्तर दें? मंत्री महोदय ने बताया है कि उन लोगों को इतना इतना रुपया दिया गया है। लेकिन यह रुपया उन लोगों को नहीं मिला है। मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is giving whatever information he has with him. You are satisfied, that is evident. If he is deliberately trying not to answer, I will intervene. You cannot have a say under the guise of a point of order.

श्री डी० बी० गवई (बुलडाना): उपाध्यक्ष महोदय, मीरखेड़ी में जो अत्यन्त दुखद घटना घटी है, उस के बारे में सदन में कालिंग एटेन्शन नोटिस के रूप में बहस चल रही है। हम मीरखेड़ी में गये थे और माननीय सदस्य हमारे साथ थे। हम दोनों साइड के लोगों—हरिजनों और जाटों —से मिले। वहां पर हम ने सही बात को जानने की पूरी पूरी कोशिश की। अभी मंत्री महोदय ने कितना झूठा उत्तर दिया है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने बताया है कि यह जगह का मामला है। यह सही है कि जगह का मामला बहुत दिनों से कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट ने गोली चलाने वालों के पक्ष में निर्णय दिया था। हम ने हरिजनों के घरों में जाकर देखा। उन बेचारों के घरों में खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ऊपर से नीचे पानी न जाये, इसकी कोई सुविधा नहीं है। वे बंदूकधारियों का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।

जब निर्णय दूसरे लोगों के पक्ष में हो गया, तो हरिजन बेचारे चुप बैठ गये। वे विनती करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारे जाने के लिए रास्ता दिया जाये, हम झगड़ा नहीं चाहते हैं। उदय और उस के लड़के ने हवा में फ़ायरिंग की और उन लोगों को डराया। वे कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको डराया गया। वहां एक दीवार खींची गई। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह दीवार न बनाओ। यह सवाल उन्होंने नहीं उठाया। 21 तारीख को यह घटना हुई ... उपाध्यक्ष महोदय, आप जल्दी घंटी न बजायें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: But do not waste your time by saying all this. It is only going to eat into your time.

श्री डी० बी० गवई: उसी तारीख को रोहतक में एक जलसा हुआ, जिस में जनता पार्टी के तीन लीडर थे। भाषण देने के लिए, लोगों को प्रोत्साहन दिलाने के लिए।

[श्री पी० जी० मावई]

उन के नाम मेरे पास हैं—रवि राम है, जनेश्वर मिश्र हैं और चन्द्रावती जी हैं, एम० पी०। इन्होंने वहां पर भाषण दिए। भाषण में उन जमींदारों को जोश दिलाया गया कि जमीन के मालिक तो हम होते हैं, हमारे पास से जमीन कोई छीनने वाला नहीं है। हम मोरार जी को भी नहीं मानेंगे। मोरारजी हरिजनों को बहुत फैसिलिटीज दे रहे हैं, बहुत सहूलियतें दे रहे हैं। हम मोरार जी की भी विरोध करेंगे। उस जलसे को सुन कर विजय और उन के जो लड़के थे और दूसरे लोग, उनके 13 नाम मेरे पास हैं, यह मेरे पास उन की लिस्ट है, मैं नाम बता सकता हूं, वह लोग गांव में आए। रोहतक से आने में उन को 11 बज गये। रोहतक से आए, उन के सिर पर भूत सवार था हरिजनों को मारने का। वे आए हाथ में बन्दूकें लिए हुए और उन्होंने आवाज दी कि अगर कोई मां का पूत है हरिजनों में तो वह हमारे सामने आ जाय, हम उस को सीधा कर देते हैं। ये लोग बेचारे दब गए। वह सम राम था जिस का घर उस उदय के घर के सामने है। जिस पर दीवार खींची है उस के बाजू में सम राम का घर है। वह बेचारा खाट पर बैठा हुआ था तो उस के ऊपर से गोली मार दी। गोली की आवाज आई। वह बेचारा घायल हो गया। उस की औरत पकड़ने को आई, वह बेचारी घबड़ा गई। उस को भी गोली मार दी। उस को गोली मारने के बाद सारे हरिजनों के घरों पर फायरिंग चालू हो गई। हमारे सदस्यगण गए थे वहां पर। ऐसे ऐसे होल बन गए हैं दीवारों में। गोलियां घुस गई हैं दीवारों में। उस के बहुत से निशान हैं और हमारे मंत्री महोदय बोलते हैं, कि पांच गोलियां चलीं। वहां पचास गोलियां चली हैं, पचास गोलियों के होल हैं, निशान हैं।

सम राम मरा नहीं, ऐसा उन को वहम हो गया कि सम राम तो जिन्दा है, उस की औरत जिन्दा है, तो फरसी ले कर गए उस के दरवाजे में और दोनों के हाथ काट लिए। वे दोनों बेचारे मर गये। जिस खाट पर सम राम बैठा था उस खाट पर गोली लगी, वह खून से लथपथ हुई। उसके नीचे जो गरीब की गुदड़ी थी, कोई अच्छा कपड़ा नहीं था, उस गुदड़ी के ऊपर भी खून चारों बाजू में लगा है। मैंने वह गुदड़ी ला कर गेट पर रख दी है। अगर सदन देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। यहां सदन में मैं उसे नहीं लाया हूं।

हमारे मंत्री बोलते हैं कि उन्होंने दीवार गिराना चालू कर दिया था तब गोली चली। उन भूखे लोगों में इतनी हिम्मत थी कि वे दीवार गिरा सकते थे? गोली तो भीतर चली, गोली तो घर में चली और गिन गिन कर हरिजनों पर गोली चलाने की साजिश की गई और वह बोलते हैं कि दीवार गिराने लगे तब गोली चलीं। क्या आप इस केस को कुछ और अलग रूप देना चाहते हैं या और इस देश में हरिजनों को मरवाना चाहते हैं?... (व्यवधान).. ठीक है मैं जल्दी खत्म करूंगा। क्या आप और इस देश के हरिजनों को मरवाना चाहते हैं? क्या इन लोगों ने जो भाषण दिया रोहतक में, इन लोगों के ऊपर आप कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं कि जिन्होंने जमींदारों को बहकाया? वहां जो खून बह गया है, जो सड़कों पर पड़ा है, चप्पे चप्पे पर पड़ा है, पत्थर पत्थर पर पड़ा है, क्या उस खून की कोई कीमत सदन को नहीं है? किसी सदस्य को उस खून की कोई कीमत नहीं है? आप लोग आपस में बात करते हैं लेकिन हरिजनों का खून बहता है तो क्यों नहीं वहां जा कर देख कर आते हैं कि वहां पर अपने देशबन्धुओं का, अपने देश-भाइयों का, अपने आदमियों का खून बह गया है, चलो जरा देखने को? न कांग्रेस वाले जाते हैं न जनता वाले जाते हैं न (आई) कांग्रेस वाले जाते हैं, न सी० पी० एम० वाले जाते हैं, न सी० पी० आई० वाले

जाते हैं। यहां सदन में देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है? क्या आप देश में सारे हरिजनों को मरवाना चाहते हैं? ... (व्यवधान) क्यों नहीं आप लोग वहां जाते? क्यों नहीं जा कर देखते हैं? (व्यवधान).. तो मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा, ये 13 नाम हैं जिन लोगों ने उन लोगों पर हमला किया, उन के। मैं यह चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी से विनती करता हूं, हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि इस देश में हरिजन का भविष्य ठीक नहीं है। और वहां पर मुझे मालूम हुआ जब मैं रोहतक हास्पिटल गया, वहां पर कुछ किसान खड़े हुए थे उन्होंने कहा मोरारजी के भरोसे पर आप मत कूदिए। हम हरिजनों को गांव में घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ 25 आदमी थे, मैंने कहा ठीक है, हमारे ऊपर आप हमला कर देंगे तो हम भी यहां के हो जायेंगे। (व्यवधान) हम गाड़ी में बैठे हुए थे और फिर हम चले आये। तो इसके बारे में माननीय मंत्री जी कुछ कार्यवाही करें, वहां के आजू-बाजू के लोग घबराये हुए हैं। आज 30 लोग मेरे पास आये हुए हैं, मैंने उनको आसरा दिया है, वे गांव में जाना नहीं चाहते हैं। जो आजू-बाजू के कस्बे के लोग हैं वे भाग रहे हैं। तो कृपा करके आप इस देश के हरिजनों को बचायें, उन पर आप दया करें और उनको इस देश से मिटाने की कोशिश न करें। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, सभी मंत्रियों से और संसदसदस्यों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं और इसी के साथ भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने जमींदारों को उत्तेजित किया कि जाओ, हरिजनों को सताओ। मैं समझता हूं मेरे सारे जीवन के लिए यह कलंक है, इस पर मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका जिलना ही चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a procedure for that.

श्री जनेश्वर मिश्र: यह आरोप मिथ्या है, शरारतपूर्ण है और जान-बूझ कर मुझे हरिजनों के बीच में और देश के बीच में बदनाम करने के लिए लगाया गया है। मैं उस मीटिंग में गया था वहां पर कहीं किसी ने भी जमींदारों को हरिजनों पर जुल्म करने के लिए नहीं उकसाया जितनी देर कि मैं वहां पर रहा और न प्रधान मंत्री की शान के खिलाफ कोई बात कही गई। यह सही है कि जब से इस देश में जनता पार्टी में किसान और कारखानेदारों के बीच संघर्ष छिड़ा है तब से जानबूझ कर किसानों, हरिजनों को लड़ाने के लिए कारखानेदारों और समर्थिदारों ने साजिश चला रखी है। (व्यवधान)।

श्री कल्याण जैन (इंदौर): उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi): on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Jain, please take your seat. I do not know why you are standing. This is not the way. You cannot get up like that. Nothing that you say will go on record.

Dr. Sushila Nayar.

DR. SUSHILA NAYAR: I want to know under what rule are other people beside the five whose names have come in the ballot giving explanations and intervening in the call attention notice debate like this. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Some Member took the name of Mr. Janeshwar Misra and somebody else. They are answering on personal explanation. That is the end of it. Now, Mr. Minister will answer to Mr. Gawai.

श्री धनिक लाल मंडल: महोदय, मैंने जब इस घटना का वर्णन किया तो

उसमें मेरी कहीं यह मंशा नहीं थी कि जिन लोगों ने गोली चलाई उनका मैं समर्थन कर रहा हूं या उनका बचाव कर रहा हूं। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने भी गोली चलाई है और मारा है उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जायेगी। मैंने केवल घटना का वर्णन किया था। यदि दीवार गिरा रहे थे या नहीं गिरा रहे थे, उनको बन्दूक चलाने का कोई अधिकार नहीं था। उनको कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं था, यह स्पष्ट है और मैं इसको मानता हूं।

जहां तक उन्होंने दूसरी बातें कहीं हैं कि देश भर में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं तो उसके लिए जो भी सम्भव प्रयत्न हैं वह सभी उठाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं और उसमें हम सभी माननीय सदस्यों और विरोध पक्ष के नेताओं का सहयोग चाहते हैं। क्योंकि यह इतना बड़ा काम है, जो बिना सब के सहयोग के सम्भव नहीं होगा और इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं—स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बनाने के बजाय, स्थिति कैसे नार्मल बनाई जा सकती है—इस में सब के सहयोग की आवश्यकता है।

श्री शिव नारायण सरसूनिया : मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेण्ट में कहा है कि उन को अनुग्रह राशि दे दी गई है, लेकिन बाद में इन्होंने यह कहा है कि आज दी जायेगी। जिन लोगों ने यह गलत रिपोर्ट बनवाई है, उन के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री धनिक लाल मण्डल : मैंने कहा है कि 500-500 रुपया प्रति व्यक्ति जो रेड-क्रास से मिला था, वह डी० सी० ने दे दिया है। इसके अतिरिक्त जिस राशि का ऐलान किया गया है, वह आज उन को दे दी जायेगी।

श्री आर० एल० कुरील : (मोहनलाल गंज) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कुछ एम० पी० मोरखेड़ी गांव गये थे। हम ने वहां स्थिति को देखा और लोगों से पूछा। जैसा गवई साहब ने बतलाया है और दूसरे मेम्बर्स ने बतलाया है, मैं उन से पूरी तरह से सहमत हूं। हम को मालूम हुआ कि वह दीवार हरिजनों के द्वारा नहीं गिराई गई, वह उन्हीं लोगों के द्वारा गिराई गई। गोली से मारने के बाद जब उन्होंने देखा कि अब क्या बहाना लें, तो उन्होंने उस के बाद उस दीवार को गिरा दिया। हमें यह भी बताया गया कि रोहतक में जो मीटिंग हुई थी, उस के प्रोवोकेशन से वे लोग वहां आये, वहां आ कर गालियां दीं और उस के बाद गोलियां चलाईं। जसा मंत्री जी ने कहा कि वे दीवार गिरा रहे थे—यह बात सरासर झूठी है, इस में कोई सत्यता नहीं है। जहां तक अच्छी तरह से जांच कराने की बात है—इस तरह की जांच तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ़ से हुआ ही करती है, इस में कोई विशेष बात नहीं है।

अब मेरा निवेदन है कि सेण्टर की तरफ़ से इस की इन्क्वायरी की जानी चाहिए। आज हमारी सुरक्षा हर जगह खतरे में है। यह केवल यहीं का काण्ड नहीं है, हम देखते हैं, लगातार हर दिन कहीं-न-कहीं ऐसे काण्ड हो रहे हैं। चूंकि हमारे वर्ग के लोग, शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, कीड़े-मकोड़ों की तरह से मरने के लिए पैदा हुए हैं—इसलिए यह कोई नई बात नहीं है—जहां तक हमारी समस्याओं का सवाल है—The problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are for sale. बिक्री के लिये हैं। वहां पर हमें लोगों ने बतलाया—रात भर गोलियां चलीं। यहां बयान में बताया गया कि 6 राउण्ड चले, जबकि 10 निशान गोलियों के दीवार में हम ने स्वयं देखे। उन को गोलियों से छलनी कर दिया गया, वो वहीं पर मर गये, उन के हाथ-पैर काटे गये, ऐसा दुर्व्यवहार वहां पर हुआ।

मेरा यह निवेदन है कि आप इस आतंक को खत्म करना चाहते हैं तो हर जगह से, हर व्यक्ति से जितने फायर आर्म्स उन के पास हैं, वे वापस ले लिए जायें, न हरिजनों को दिये जायें और न किसी अन्य को दिए जायें। उस के बाद लाठी का मुकाबला वे कर लेंगे—इस में कोई सन्देह नहीं है। अगर आप वास्तव में उन को संरक्षण देना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के नाम से किसी भी तरह के आर्म्ज न दिये जायं। ये लोग सुरक्षा के नाम से आर्म्ज ले कर डकैतियां और कत्ल करवाते हैं। उन का उत्पीड़न करते हैं। हमने देखा है—जहां-जहां शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उन को अपनी मर्जी के हिसाब से मारा जाता है, जब उन की मर्जी आती है, तब मारते हैं। इसलिए इन को रिहैबिलिटेट किया जाय। पापुलेशन के हिसाब से उन को अलग जगह दे दी जाय, दो या तीन प्रान्तों में जितने में ये आते हों, उन को जगह दे दी जाय। वहां पर हर एक चीज उन को दे दी जाय, आप हमें ऊसर दे दीजिए, रेगिस्तान दे दीजिए हमारे लोग मेहनत से उस को भी ठीक कर लेंगे, लेकिन वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन के हाथ में दीजिए। आज एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में न होने से हमारे साथ न्याय नहीं होता है। जितने कानून बने हुए हैं—वे बड़े आदमियों के लिए हैं, गरीबों को उन से न्याय नहीं मिलता है, केवल पैसे वालों को मिलता है। आज हम को कोई भी सिक्योरिटी हासिल नहीं है। हमारी रक्षा खतरे में है। हम आज गुलामों की तरह से जी रहे हैं। हमें शांतिपूर्वक नहीं रहने दिया जाता है। आज हमें इंसान नहीं समझा जा रहा है। यह एक प्रांत की ही बात नहीं है। कुत्ते, बिल्लियों की तरह से हमें मारा जा रहा है। कितनी विडम्बना की बात है। हमारे ऊपर जब इस प्रकार के अत्याचार होते हैं तो उन पर क्यों नहीं आप विचार करते हैं? एक समय गोरे लोगों ने भारतीयों को काले लोग कहा था जिस पर सारा हिन्दुस्तान मरने तक के लिए उठ खड़ा हुआ था। सारे हिन्दुस्तान ने आजादी के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। आज हमारे ऊपर वार हो रहे हैं, हम लोगों पर जुल्म हो रहे हैं परन्तु फिर भी हम चुप हैं। इस समय सारा देश वोल्केनों के ऊपर खड़ा है। मैं आप के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि वह इस पर विशेष ध्यान दें और इस भयानक स्थिति को रोके। अगर इस स्थिति को आज नहीं रोका गया तो एक दिन यह स्थिति और भी भयानक हो जायेगी। आज हरिजनों की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए आप व्यवस्था करें जिससे भविष्य में इस तरह के कोई भी अत्याचार न हों, इस तरह से लोगों को न मारा जाय, यह मेरा निवेदन है। अगर इस तरह से अत्याचार होते रहे तो बहुत ही भयानक स्थिति आ जाएगी।

13 hrs.

मैं पूछना चाहता हूं कि वहां लोगों को क्या दिया गया? जब हम मोरखेड़ी गांव में पहुंचे तो मालूम हुआ कि एक भी पैसा किसी को नहीं मिला। लोगों को एक भी दाना खाने को नहीं मिला। वहां लोग मजदूरी करने भी नहीं जा सकते हैं। वहां आतंक छाया हुआ है। आज उनकी रक्षा पुलिस करती है। आज वहां के जाट लोग उनसे कह रहे हैं कि यहां से भाग जाओ, हम देखेंगे कि कब तक यहां पर पुलिस पड़ी रहेगी। मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान

[श्री आर० एस० कुरील]

दिया जाए और उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया जाए, अश्योरेंस दिया जाए ताकि भविष्य में दुबारा ऐसी घटना] न घटे ।

श्री मोरारजी देसाई : सब से पहले तो सम्मानित सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है वैसी भाषा का प्रयोग वे न करें इससे किसी को मदद नहीं पहुंचेगी । वहां इतनी धमकियां दीं, ये वहां जा कर सुरक्षित कैसे वापस आये, यह मेरी समझ में नहीं आया । इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने से क्या फायदा है ? यह बात बहुत खराब हुई है । इस तरह से करना, बन्दूक मारना, बहुत खराब हुआ है । इससे कोई इंकार नहीं कर सकता । लेकिन ऐसा कहना कि सारे हिन्दुस्तान में लोग लाठियों से मुकाबला करेंगे, इस से क्या फायदा होगा ? इसलिए मेरा कहना है कि मेहरबानी करके ऐसी भाषा का प्रयोग न करें और जो काम हम करना चाहते हैं, उस काम में हमारी मदद करें । यही मेरी उन से प्रार्थना है ।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TWENTY-FOURTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I move:

"That this House do agree with the Twenty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 24th August, 1978."

MR. DEPUTY SPEAKER: Just a minute. Shrimati Chandravati wants to make her personal explanation. Smt. Chandravati.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE —Contd.

REPORTED INCIDENT OF TWO HARIJANS HAVING BEEN SHOT DEAD IN VILLAGE MOHKHERA (HARYANA)—Contd.

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : जनाब मेरा नाम लिया गया । जनाब मैं कहना चाहती हूं कि ला एण्ड आर्डर की जिसकी जिम्मेदारी है, जो ला एण्ड आर्डर रखने के लिए जिम्मेदार है, अगर वे इसे नहीं संभाल सकते हैं तो इस्तीफा दे दें ।

जनाब मैं जलसे के बारे में बताना चाहती हूं । वह जलसा बहुत ही अनप्रोवोकेटिव था । कई लोग वहां गये थे, आर० के० मिश्र भी गये थे, मैं भी वहां गई थी । किसी ने भी वहां कोई प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं दी । गांव के लोग गरीब हैं, वे भी जिन्दा रहना चाहते हैं । उन लोगों का गन्ना सस्ता बिका, कपास सस्ती बिकी । तम्बाकू सस्ती बिकी । उन्होंने एजीटेशन किया है कि उनके ठीक भाव मिलें । लेकिन आज मैं कहना चाहती हूं—

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो सजेशन देना था दे दिया है ।

श्रीमती चन्द्रावती : कुछ पूंजीपतियों के अखबार हैं, उनके एजेंट हैं जो चाहते हैं कि गांव की जो कम्यूनिटीज हैं वे आपस में लड़ें । उन में घृणा पैदा की जाए । गांव में चमार हैं, बनिया हैं, अहीर हैं, ब्राह्मण हैं, जितनी भी कम्यूनिटीज हैं वे वहां सदियों से बसती आ रही हैं । हमारे दादे परदादे वहां बसे थे और हम सब वहां बसे हुए हैं । लेकिन आज एक पटिकुलर संगठन है कुछ लोग हैं जो वहां वैर भाव फैला रहे हैं, इस संगठन को बन्द होना